न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एम०–106 / 18

धारा–107 द०प्र०सं०

रामधन उरांव वगैरह .....प्रथम पक्ष

बनाम

देवगुण उरांव वगैरह.....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
25/03/2019	प्रस्तुत वाद में सोनाहातु थाना(राहे ओ.पी.) के अग्राधामेकी संख्या–36 / 18 दिनांक–30 / 07 / 2018 द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह विवाद खाता संख्या 19 प्लॉट संख्या–101, 151 रकबा–57 डी. भूमि पर जोत कोड को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि यह जमीन संबंधी विवाद से जुड़ा मामला है, जिसका खाता संख्या–19 प्लॉट संख्या–101, 151 रकबा–57 डी. मौजा–गोमदा थाना–सोनाहातु, राहे ओ.पी. दर्ज है। यह कि आर.एस. खाता घमडु उरांव वगैरह मौजा–गोमदा खाता संख्या–19 थाना–सोनाहातु, थाना संख्या–180, जिला–राँची दर्ज है। प्रथम पक्षगण घमडु उरांव और डहरू उरांव के वंशावली में आते है। उसी आधार पर पूर्वज से उक्त जमीन में दखल–कब्जा प्राप्त है। वर्त्तमान में द्वितीय पक्ष शांतिभंग कर बाजबरन दखल कब्जा चाह रहे है, जो गैर कानूनी है। द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि उभय पक्ष एक ही भैयाद है। मौजा–गोमदा थाना–सोनाहातु, जिला–राँची स्थित खाता संख्या–19 प्लॉट संख्या–101, 151 कुल रकबा–57 डी० जमीन द्वितीय पक्ष के सदस्यों को पूर्वजों से प्राप्त है एवं पूर्वजों के समय से ही वे खेती–बारी कर जमीन का भरण–पोषण करते आ रहे है। पूर्व में उपरोक्त जमीन को लेकर उभय पक्षके सदस्यों के बीच एक बँटवारा वाद संख्या–12 / 2001 माननीय मुंसिफ साहब, खूँटी के न्यायालय में चला था, जिसमें द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के पक्ष में निर्णय आया था। पुनः टाइटिल अपील में भी वर्त्तमान द्वितीय पक्ष के सदस्यों के पक्ष में ही निर्णय आया फिर भी प्रथम पक्ष के सदस्यगण के द्वारा शांतिभंग करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 1 :– घासीराम उरांव पिता–स्व० मंगरा उरांव ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन प्रथम पक्ष का खतियानी जमीन है। विवादित जमीन में रामधन उरांव, शनिचरवा उरांव, सुखराम उरांव और शिवू उरांव खेती करते है। विवादित प्लॉट में देवगुण उरांव कभी खेती नहीं किया है। द्वितीय पक्ष का विवादित जमीन पर हक नहीं है। प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से डर है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– शनिचरवा उरांव पिता–स्व० माधो उरांव ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरे जमीन में विपक्षी जबरजस्ती जोत–कोड कर रहा था। द्वितीय पक्ष को जोत–कोड से मना करने पर मुझे गाली दिया तथा मारने के लिए धमकी दिया। इसे ही लेकर में केस किया हूँ। ये जमीन हमलोगों का खतियानी जमीन है। विपक्षी लोग खतियानी रैयत के किसी भी वंशावली में नहीं आते है। द्वितीय द्वितीय पक्ष अभी भी धमकी देते रहते है। द्वितीय पक्ष के लोग हमलोगों को कभी भी मारपीट नहीं किया है। विवादित जमीन में हमलोगों का दखल–कब्जा है। हमलोग खेती–बारी करते है। द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह :– गोलक उरांव पिता–स्व० घिसवा उरांव ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष के बीच कभी लड़ाई–झगड़ा और मारपीट नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष जिस जमीन को लेकर केस किया है उसमें खेती द्वितीय पक्ष करता है। केस होने के बाद उभय पक्ष में लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह :– देवगुण उरांव पिता–स्व० सोहराई उरांव ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन में प्रत्येक साल खेती करता है, इसलिए हल चलाने गया था। विवादित जमीन का मालगुजारी दसवा उरांव देता है, मैं भी पैसा देता हूँ। विवादित जमीन का मेरे पास रसीद नहीं है। केस होने के बाद उभय पक्ष में मारपीट या लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। शांति बना हुआ है, लेकिन हमलोगों को प्रथम पक्ष से डर है।	

तिथि	आदेश	

वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि विवाद भूमि पर परस्पर दावेदारी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, जो कि सक्षम न्यायालय का मामला है। वर्त्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है। उभय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में भी शांति व्यवस्था बनाये रखे। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.19 12:10:58 +05:30
Location: 10.93.79.5